

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/ /18, दिनांक : 16 : नवम्बर -2018,

--: आदेश :-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-2360/18 दिनांक 15.11.2018 द्वारा दिनांक 17.12.18 से 22.12.18 तक के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ कानपुर के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम कानपुर व पीठ-3, कानपुर की खंड पीठ गठित की गयी थी।

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम कानपुर की दिनांक 17.12.18 से 21.12.18 तक आई0आई0पी0ए0 नई दिल्ली में ट्रेनिंग का कार्यक्रम प्राप्त होने के कारण उक्त गठित खंड पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए " न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम कानपुर" के स्थान पर " न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-झाँसी को उक्त अवधि की खंड पीठ हेतु नामित किया जाता है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह0-16.11.18

(प्रेम कला सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/2365/2018, तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, कानपुर।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-झाँसी।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।